श्री हो० ना० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : क्या प्रधान मंत्री को इस बात की जानकारी है कि 21 तारीख को शाम के चार बजे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्री धर्मवीर ने मुख्य मंत्री श्री अजय मुकर्जी से पूछा था कि क्या वह 14 दिसम्बर से पहले विधान सभा का सत्र बुलाने के लिए तैयार हैं जिसके उत्तर में उन्होंने राज्यपाल को बताया था कि वह 23 तारीख को मंत्रिमंडल की बैठक बुलायेंगे और उसके बाद बता सकेंगे कि उनके लिये 18 दिसम्बर से पहले विधान सभा का सत्र बुला सकना संभव है अथवा नहीं। क्या इन सब बातों को देखते हुए वहाँ की सरकार को बर्खास्त किया गया था ?

प्रधान मंत्री तथा अणशक्ति मंत्री (श्रीमती इंदिरा गाँधी) : मैंने सदस्यों के विचार ध्यान-पूर्वक सुने। उनके विचार सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुँची हूँ कि उन्होंने कोई नई बात न कहकर पुरानी ही बातें दोहराई हैं। मैं समझती थी कि सब सदस्य एक होकर इस अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन ही करेंगे किन्तु मुझे यह ज्ञात हुआ कि कुछ सदस्य इसका स्पष्ट रूप से विरोध कर रहे हैं। श्री रंगा तथा श्री अटल बिहारी बाजपेयी ने सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का पूर्ण समर्थन किया है। कुछ माननीय सदस्यों ने सरकार की विदेश नीति और आर्थिक नीति की आलोचना की है किन्तु उन्होंने इस बारे में वही पुराने तर्क दिये हैं।

मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहती हूँ कि जब आलोचना में वही बातें दोहराई गई हैं तो यह स्पष्ट है कि उसका उत्तर भी वही पुराना ही होगा। अविश्वास प्रस्ताव में वैकल्पिक नीतियों के प्रस्ताव रखे गए हैं। किन्तु हम उन्हें नहीं मान सकते हैं क्योंकि उनकी संख्या बहुत है और उनके स्वरूप अलग-अलग हैं। वास्तव में विरोधी दल में एक बात समान है और वह कांग्रेस की आलोचना करना।

श्री रंगा ने मुझपर आरोप लगाया है कि मैं रूस की पचासवीं वर्षगाँठ पर रूस सरकार के निमंत्रण पर रूस जा रही हूँ। इस सम्बन्ध में मैं केवल यह कहना चाहती हूँ कि यह निमंत्रण एक मित्र देश द्वारा दिया गया है। माननीय सदस्यों को इस प्रकार की बातें नहीं कहनी चाहिये। मैं रूस उसी भावना से गई जिस भावना से हमारे राष्ट्रपति कनाडा की शताब्दी समारोहों के अवसर पर वहाँ गए थे। आज हमें सभ्य तरीकों से अन्य देशों के साथ मैत्री रखनी है।

गत आम चुनावों के परिणामस्वरूप राज्यों में अनेक नई सरकारें बनी हैं। मैंने इस नई सरकारों का स्वागत किया और इस सम्बन्ध में राज्यों के मुख्य मंत्रियों से बातचीत की। मेरा इस बारे में संकीर्ण दृष्टिकोण नहीं है। मैंने इन सरकारों को यथासंभव प्रोत्साहन भी दिया। मैंने कभी यह प्रयत्न नहीं किया कि इन सरकारों को समाप्त किया जाये। मैं प्रधान मंत्री के रूप में तथा अपने सहयोगियों की ओर से यह कह सकती हूँ कि गैर कांग्रेसी राज्य सरकारों को कारगर ढंग से कार्य करने के लिए तथा उन्हें उन्नत बनाने के लिए उन्हें यथासंभव सहायता दी गई है। यह ठीक है कि उनकी सभी माँगें पूरी नहीं की जा सकीं। किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हम उनकी माँगें पूरी करना ही नहीं चाहते हैं। वास्तविकता यह है कि जहाँ कहीं भी माँगें पूरी नहीं की जा सकी उसका कारण है हमारी सीमाएँ और वित्तीय संसाधन सम्बन्धी कठिनाइयाँ। हमने सभी सरकारों के साथ एक समान बर्ताव किया है। कांग्रेसी राज्य सरकारों की तो यह शिकायत है कि उनके हितों का ध्यान नहीं रखा जाता क्योंकि वे अपनी आवाज नहीं उठा सकते हैं। यह दुःख की बात है कि प्रत्येक गलती अथवा असफलता के लिए गैर कांग्रेसी सरकारें केन्द्रीय सरकार को दोषी ठहराती हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि हमने कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिय अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी है। राज्य सरकारों के नेता राज्यों में तथा केन्द्र में कांग्रेस

सरकार को गिराने के लिए बैठकों का आयोजन करते रहते हैं। यह अजीब बात है कि थोड़े से कार्यक्रमों को आधार बनाकर अपने स्वार्थों के लिए मिली जुली सरकारें बनाई गई हैं। हम चाहते हैं कि जनता अपना निर्णय स्वयं करे किन्तु मिली जुली सरकारों में आन्तरिक मतभेद हो जाने के कारण किसी गम्भीर स्थिति के उत्पन्न हो जाने पर केन्द्रीय सरकार को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिये।

मैं यह स्पष्ट करना चाहती हूँ कि राजनैतिक दल बदल की नीति प्रजातंत्र के लिए घातक है। इस प्रकार बिना सोचे समझे दल बदलना अपने निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं के साथ विश्वासघात करना है। सभी को उसकी निन्दा करनी चाहिये हम सबको मिलकर प्रजातंत्र को मजबूत बनाना चाहिए।

पश्चिम बंगाल के बारे में सरकार पर कुछ आरोप लगाये गए हैं। मुझसे पूर्व वक्ता श्री एच० एन० मुकर्जी, श्री समर गुह तथा श्री गणेश घोष ने कुछ जानकारी देनी चाही थी तथा कुछ जानकारी माँगी है। श्री समर गुह ने कहा था कि वे राष्ट्र विरोधी तत्वों को दबाने का प्रयत्न कर रहे थे। इस सम्बन्ध में मैं केवल यह कहना चाहती हूँ कि वहाँ पर हिंसा का समर्थन कौन कर रहा है। बंगाल में घटनाएँ काफी लम्बे समय से हो रही है। उनके बारे में काफी समय से समाचार प्रकाशित हो रहे हैं। श्री समरगुह को इस बारे में और अधिक जानकारी होगी। श्री दी० चं० शर्मा ने श्री अजय मुकर्जी का वक्तव्य पढ़ने का प्रयत्न किया था। मैं चाहती थी कि उनको इसकी अनुमति दी जानी चाहिये थी क्योंकि वह स्थिति पर प्रकाश डाल रहे थे। मैं भी उनका वक्तव्य पढ़कर सुनना चाहती थी किन्तु समय कम होने के कारण मैं थोड़ा भाग पढ़ूंगी। श्री अजय मुकर्जी ने इस वक्तव्य में कहा था कि वामपंथियों का असफल षडयंत्र के आरोप निराधार है। यह वक्तव्य उन्होंने अपने प्रस्तावित त्यागपत्र के समय नहीं दिया था। यह वक्तव्य उन्होंने 16 अक्तूबर को दिया था और उसके बाद उन्होंने सरकार में रहने का निर्णय किया था। उसमें उन्होंने कहा था:.....''राजनैतिक दल का एक भाग सशस्त्र क्रान्ति करने के लिए चीन को सहायता के लिए आमंत्रित कर रहा है....''

कुछ माननीय सदस्य: शर्म, शर्म।

श्रीमती इंदिरा गाँधी: ''पश्चिम बंगाल में ऐसी प्रवृत्ति को आरम्भ में कुचल दिया जाना चाहिए। किन्तु दुर्भाग्य से इस मामले में संयुक्त दल के अपने सहयोगियों से विरोध ही प्राप्त हुआ।''

मैं यह अवश्य कहूँगी कि जो भी घटनाएँ घट रही हैं उनसे मुझे बहुत दुख हो रहा है। बंगाल के लोगों का मैं बहुत आदर करती हूँ। भारत के जागरण इतिहास में उन्होंने बेजोड़ और मुख्य कार्य किया है। वहाँ के उच्च नेताओं ने देश में राजनीति, विज्ञान, साहित्य, कला और धर्म के बहुत से क्षेत्रों में सहयोग प्रदान किया है। उन्होंने देश को राष्ट्रीय गान दिया। पहले की भाँति वे इन कठिनाइयों का मुकाबला करने में समर्थ होंगे और एक बार फिर शान्तिपूर्ण परिस्थिति में प्रगति की ओर अग्रसर होंगे।

संविधान का प्रयोजन ऐसी सरकार की व्यवस्था करना है जो देश में शान्ति और व्यवस्था बनाये रखे। हिंसा द्वारा किसी उद्देश्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती। हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि हम हिंसात्मक कार्यवाहियों को समाप्त करें।

जब कुछ माननीय सदस्यों ने जोश में आकर हमारी सेना और पाकिस्तान में हुई घटनाओं के सम्बन्ध में गैर जिम्मेदाराना विचार व्यक्त किये तो मुझे बहुत दुख हुआ। वे विचार उन लोगों के हैं जिन्हें भारत, उसकी जनता और हमारी लोकतंत्रात्मक प्रणाली में विश्वास नहीं है। मुझे भारतीयों की परिपक्वता और बुद्धिमानी में पूर्ण विश्वास है। मुझे अपनी सेना की बहादुरी और उच्च देशभक्ति में पूरा विश्वास है। इस बात का मुझे दुख है कि हमारी सेना राजनीतिक चर्चा का विषय बनी।

भारत का आदर और उसके विचारों का सम्मान का निर्णय उन लोगों को नहीं करना है जो अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति से अनभिज्ञ है बल्कि इसका निर्णय विश्व परिषद् द्वारा हमारे विचारों तथा हमारे वक्तव्यों को विदेशी में दिये गये महत्व द्वारा किया जाना है।

श्री मधु लिमये द्वारा वियतनाम के सम्बन्ध में दिये गये वक्तव्य का मैं तीव्र विरोध करती हूँ। मेरे विचार से वह वक्तव्य गैर जिम्मेदाराना तथा झूठा था। वियतनाम संघर्ष के सम्बन्ध में मैंने अपने विचार सदैव स्पष्ट किये है।

भारत सरकार की यह नीति रही है कि वह राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता से स्वयं रहे और दूसरों को इसी प्रकार रहने दे। इसीलिये भारत सदा उपनिवेशवाद, जाति-विवाद और किसी प्रकार के प्रबल शासन का विरोधी रहा है।

हम नहीं चाहते कि कोई भी हमारे आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करे और इसी प्रकार हम किसी भी देश के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करना नहीं चाहते।

राजनीतिक स्वतंत्रता के बाद हमारे लिये आर्थिक स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण है। विश्व अमीर और गरीब देशों में बटा हुआ है और एक दूसरे में बहुत अधिक अन्तर है। अतः हमें अपनी आर्थिक व्यवस्था को बनाना है ताकि विकसित देश उत्पादन की वद्धि के उद्देश्य से साधनों को भी बढ़ा सकें। हमे दान की आवश्यकता नहीं, परन्तु अधिक आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है।

योजना आयोग का पुनर्गठन किया गया है और यह देश के सामने आने वाली समस्याओं को नया रूप दे रहा है। और देश की अर्थ व्यवस्था को सुव्यवस्थित तरीके से स्थिर और पहले जैसी बनाये रखने के लिये सुझाव दे रहा है। यह सुझाव दिया गया है कि चौथी योजना का कार्य 1968–69 की वार्षिक योजना के पूरे होने पर जनवरी, 1968 से आरम्भ किया जाये।

यह आशा की जाती है कि कृषि और पुनर्वास के तरीकों में सुधार किये जाने से हमारी अर्थव्यवस्था शीघ्र ही सुनिश्चित हो जायेगी। इतिहास साक्षी है कि किसी भी देश की अर्थ व्यवस्था में हमेशा वृद्धि नहीं होती रही है, चाहे वह देश कितने ही सुगठित या विकसित देश क्यों न हों। प्रत्येक देश की अर्थ-व्यवस्थ में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। हमारे देश के सामने जो सूखे और मन्दी की समस्याएँ हैं उनकी हमें ठोस आलोचना करनी चाहिये। यदि हम ऐसी मुसीबतें जो हमारे नियंत्रण के बाहर हैं, के सामने हिम्मत हार बैठेंगे तो हम अपने संघर्ष में सफल नहीं होंगे। इस वर्ष मार्च में जब सरकार ने कार्य भार संभाला तो देश को अकाल का सामना करना पड़ रहा था। देश के बहुत से राज्यों मेंअनाज की की बहुत कमी थी और सरकार को 5,000 लाख व्यक्तियों के लिये अनाज की व्यवस्था करने का कठिन कार्य करना था। इतिहास में कभी भी किसी देश को इस प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। हमने राज्य सरकारों की इस सम्बन्ध में पूरी सहायता की।

देश में फसल अच्छी न होने के कारण यहाँ की अर्थ-व्यवस्था पर बहुत भारी असर पड़ा है। हमने अपने साधनों से अधिकतम अनाज का आयात किया है। लोगों की क्रय शक्ति घट गई है,

मूल्य बढ़ गए हैं, बेकारी बढ़ गई है और हम मंदी के बीच फंस गए हैं। हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

यह सच है कि इस वर्ष प्रकृति ने हमारा साथ दिया है। परन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि हमने भी अपनी उपज बढ़ाने के लिये भारी परिश्रम किया है। नये तरीके के बीज उर्वरक और अच्छी सिंचाई के साधनों से प्रयोग किये जाने के परिणामस्वरूप उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई है। चाहे वह राजनीतिक क्षेत्र हो और चाहे आर्थिक क्षेत्र, सरकार ने अपना दायित्व दृढ़ता और साहस से निभाया है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री द्वारा दिये गये तर्क को सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ। विपक्षी दलों का मजबूत न होने का आरोप सरकार पर लगाया गया है।

एक सदस्य ने गाड़ियों के आने जाने में देरी होने का उल्लेख किया। इस सम्बन्ध में बहुत से प्रश्न पूछे जा चुके हैं और उनका उत्तर भी दिया जा चुका है।

मैं दोनों ओर के सदस्यों से निवेदन करूँगी कि वे अपने हित को छोड़ देश के भविष्य के विषय में सोंचे। हमें स्वतंत्रता प्राप्त किये 21 वर्ष हो गये हैं। स्वतंत्रता प्राप्त होने के पश्चात् आधे राष्ट्र का जन्म हुआ है। उन्हें आप स्वतंत्रता की कैसी तस्वीर दिखाना चाहते हैं। क्या आप यह चाहते हैं कि वह ये सोचें कि स्वतंत्रता कुछ नहीं है केवल शान्ति का लालच है क्या आप यह चाहते हैं कि वे अपने पूर्वजों पर गर्व करें और अपने भविष्य में कुछ आशा रखें।

आलोचना का मैं स्वागत करती हूँ, परन्तु वह ऐसी न हो कि जिससे हमारे आत्मविश्वास को क्षति हो। आगामी 5 या 10 वर्षों में हमें बहुत कार्य करने हैं और विकास तथा लोकतंत्र में लगाई गई पूंजी के फल को प्राप्त कर सकेंगे। मैं यह निश्चय के साथ कह सकती हूँ कि आगामी तीन वर्षों में हम आत्मनिर्भर हो जायेंगे। कहीं इतिहास यह न बताये कि सभा के इस दल ने अपना समय झगड़ने में व्यतीत किया और वह देश में विश्वास और आशा का बीज बोने में असमर्थ रहा।

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

[**Mr. Deputy Speaker** in the Chair]

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I have heard the Prime Minister, but she has not replied to any of the questions raised and the criticism made during the debate. Several constitutional and political matters were raised during the debate, but she has not replied any of them. Only yesterday, Shri Morarji Desai said :—

"The Governor was entitled to dismiss the Chief Minister the moment it was proved to him that the majority was, not with him".

If this is the policy of the Government may I know the reasons for acting contrary to this policy by the Government twelve years before in Kerala by this Government. No Confidence Motion was not passed against Ajoya Mukerjee's Government in West Bengal. It was Governor's personal opinion that Ajoya Mukerjee's party was not in majority. But in the case of Kerala at that time there was minority Government for six months. Again Morarji said :—

"After losing the majority, no Chief Minister has a right to ask for a mid-term poll." But within few months i.e. from July to November this government has changed the view. In July we were discussing about Madhya Pradesh.